न्यायालय सहायक कलक्टर रियांबड़ी जिला नागौर
बईजलास श्री सुरेश कुमार आर.ए.एस
राजेन्द्र कुमार बनाम तहसीलदार वगैरहा
मुकदमा संख्या 69/2024

प्रार्थी :–
राजेन्द्र कुमार गौड़ पुत्र कालुराम जाति ब्राहमण
निवासी आलनियावास तहसील रियांबड़ी

अप्रार्थीगण :–
तहसीलदार रियांबड़ी
पटवारी हल्का आलनियावास तहसील रियांबड़ी जिला नागौर।

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251–क– राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक :– 12/8/24

प्रार्थी की ओर से निम्नलिखित प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि :–

1–यह है कि प्रार्थी की काश्त कब्जासुद व खातेदारी की जमीन ग्राम आलनियावास में खेत खसरा नबर 2413/2191 रकबा 0.1716 हैक्टर आई हुई है। जिस पर प्रार्थी का काश्त व कब्जा चला आ रहा है। प्रार्थी की उक्त जमीन को संलग्न नजरी नक्शा में दर्शाया गया है। संलग्न नजरी नक्शा इस प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग है। खतौनी नकल व ट्रेस नक्शा साथ पेश है।

2–यह है कि प्रार्थी के उक्त खेत खसरा नबर 2413/2191 के पूर्वी तरफ खसरा नंबर 249 रकबा 0.2400 हैक्टर राजकीय भूमि अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी की आई हुई है। तथा इसके पूर्व ममें आबादी भूमि का रास्ता आया हुआ है।

3–यह है कि प्रार्थी के खसरा नंबर 2413/2191 में आने जाने व टैक्टर छकड़ा हल बैल आदि ले जाने के लिए आबादी भूमि में स्थित रास्ता से फंटकर खसरा नंबर 249 की उतरी माठ के सहारे सहारे रास्ता आया हुआ है। जिस रास्ता को संलग्न नजरी नक्शा में मार्क ए से बी दर्शाया गया है। उक्त रास्ते का उपयोग व उपभोग प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार के सदस्य अपने खेत में आने जाने हेतू करते आ रहे है। प्रार्थी से पूर्व प्रार्थी के पूर्वज भी इसी रास्ते का उपयोग व उपभोग करते थे।

4–यह है कि संलस्न नजरी नक्शा में बताये मार्क ए से बी रास्ता पीढियो से चला आ रहा है। प्रार्थी व उसके परिवार इस रास्ते का उपयोग बिना किसी रोक टोक के करते आ रहे है। इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है।

5–यह है कि खसरा नंबर 249 सरकारी भूमि है। जो किसी अन्य व्यक्ति को आंवटित की जा सकती है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के खेत में आने जाने हू रास्ता नहीं रहेगा। जिससे प्रार्थी के हक व अधिकारो पर भारी कुठाराघात होगा। प्रार्थी अपने खेत में काश्त करने से महरूम हो जायेगा। प्रार्थी के अपने खेत में जाने आने के लिए यही एक मात्र रास्ता है। सो प्रार्थी रास्ता अप्रार्थीगण से प्राप्त करने का अधिकारी है।

6–यह है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीग्णो को अपने खेतो में जाने हेतू मार्क ए से बी 30 फुट चौड़ा रास्ता प्रार्थी को देने का निवेदन किया व इसकी राशि भी चुकाने को तत्पर रहा। लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी को रास्ता नहीं दे रहा है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन ह कि प्रार्थी के खेत खसरा नंबर 2413/2191 में आने जाने व टेक्टर छकड़ा हल बैल आदि ले जाने के लिए आबादी भूमि में स्थित रास्ता से फंटकर खसरा नंबर 249 की उतरी माठ के सहारे सहारे होकर संलग्न नजरी नक्शा में दर्शित मार्क ए से बी 30 फुट चौड़ा रास्ता बएवज कीमत दिलवाया जावे व राजस्व रेकर्ड में रास्ता घोषित किया जाकर तरमीम किया जावें।

वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 251ए दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार रियांबड़ी को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए एंव राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 68 व 70 में विहित प्रावधानो के अनुरूप उभयपक्षकारो की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार कर रिपार्ट भिजवाने बाबत लिखा गया।

तहसीलदार रियांबड़ी ने अपनी जांच रिपोर्ट में बताया गया कि वक्त मौका निरीक्षण पक्षकारो को धारा 68 से 70 के तहत प्रार्थी को सूचित किया गया। तथा रास्ते की भूमि सिवाय चक होने अप्रार्थीगण की तामिल नहीं कराई जा सकी। अप्रार्थीगण ने अपनी जांच रिर्पोर्ट में किसी प्रकार की धारा 68 से 70 के तहत

उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी
जिला–नागौर

पत्ति दर्ज नहीं कराई गई। तहसीलदार ने रास्ते के संबंध में रास्ते का नजरी नक्शा भी पेश किया तहसीलदार ने खसरा नंबर 249 रकबा 0.24 हैक्टर में 30 मीटर लंबाई व 9 मीटर चौड़ाई यानि वर्गमीटर होगी। तथा रास्ते के लिए 0.027 हैक्टर भूमि प्रभावित होगी।

वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में बताया गया कि प्रार्थी पने खेत खसरा नंबर 2413/2191 रकबा 0.1716 हैक्टर में आने जाने के लिए आबादी भूमि से र सरकारी भूमि खसरा नंबर 249 में से होकर अपने खेत में जाने का एकमात्र रास्ता है और प्रार्थी व के पूर्वज भी इसी रास्ते का उपयोग अपने खेत में जाने के लिए करते आ रहे है। इसलिए खसरा नंबर में सें 30 फुट चौड़ा रास्ता दिलवाया जावें। इसके लिए राशि जमा कराने को प्रार्थी तैयार है। प्राथी का ना पत्र स्वीकार कर रास्ता बएवज दिलवाया जावें।

वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर मौजूद राजस्व रेकार्ड व तहसीलदार ांबड़ी की जांच रिपोर्ट एवं संलग्न नजरी नक्शा का अवलोकन कियां गया। जिससे पाया गया कि प्रार्थी खसरा नंबर 2413/2191 रकबा 0.1716 में आने जाने के लिए सरकारी भूमि ख्सरा नंबर 249 सिवाय क भूमि से रास्ता चाहा गया है जिसमें अप्रार्थीगण ने किसी प्रकार की धारा 68 से 70 के तहत कोई पत्ति नहीं की गई है। जिससे जाहिर होता है कि अप्रार्थीगणो द्वारा दौराने जांच कोई प्रतिकूल प्पणी/आपत्ति नहीं की गई है। अत : समस्त विवेचन से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। था आदेश दिया जाता है कि :–

आ दे श

" मौजा आलनियावास के खसरा नंबर 2413/2191 रकबा 0.1716 हैक्टर में आने जाने के लिए आबादी भूमि में स्थित रास्ता से फंटकर खसरा नंबर 249 सिवाय चक की उतरी माठ के सहारे–सहारे होकर संलग्न नजरी नक्शा जो तहसीलदार रियांबड़ी व प्रार्थी ने पेश किया गया है। उसको गेर मुमकिन रास्ता घोषित किया जाता है। रास्ते के लिए खसरा नंबर 249 रकबा 0.24 हैक्टरं में सें 30 मीटर लंबाई व 9 मीटर चौड़ाई में 270 वर्गमीटर यानि 0.027 हैक्टर भूमि रहेगी। तहसीलदार की जांच रिपोर्ट व संलग्न नजरी नक्शा इस निर्णय का भाग रहेगा। तहसीलदार रियांबड़ी रास्ते के लिए प्रभावित रकबे की डीएलसी दर से दोगुनी राशि से गणना करके प्रार्थी से राशि जमा करावें तथा रास्ते का अंकन गैर मुमकिन रास्ता राजस्व रेकर्ड में किया जावें तथा नक्शे में तरमीम किया जावें। तहसीलदार रियांबड़ी को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12/8/24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेशकुमार)
उपखण्ड अधिकारी
रियांबड़ी

उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी
जिला–नागौर